न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी श्री दिनेश विश्नोई आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :—124 / 2021

प्रार्थीगण:—

1. मालाराम पुत्र भीमाराम जाति चौधरी निवासी होतरडा तहसील समदडी जिला बाडमेर
2. चुकी देवी पत्नी भीमाराम जाति चौधरी निवासी होतरडा तहसील समदडी जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थी:—

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :—

1. श्री ललित जांगिड़ अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थी अनुपस्थित

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 22.12.2022

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की सामलाती खातेदारी खेत सरहद मौजा होतरडा व भलरो का बाडा पटवार मण्डल भलरो का बाडा में खसरा संख्या क्रमशः 145, 292, 296, 312, 313, 153, 252 / 72 रकबा क्रमशः 11.7763, 2.9947,10.5461, 1.0279, 5.9408, 4.8319 व 2.5900 हैक्टयर की भूमि आई हुई है। प्रार्थी संख्या 1 का सही नाम मालाराम पुत्र भीमाराम व प्रार्थी संख्या 2 नाम चुकीदेवी पत्नी भीमाराम है। परन्तु प्रार्थी संख्या 1 के पिता व प्रार्थी संख्या 2 के पति के फौत होने पर फौतदगी नामान्तरकरण भरते समय खसरा संख्या 292, 296, 321 व 313 की भूमियो में प्रार्थी संख्या 2 का नाम चुकी देवी पत्नी भीमाराम के स्थान पर ''सुकीदेवी पत्नी भोमाराम व खसरा संख्या 153, 252 / 72 में प्रार्थी संख्या 1 का नाम ''मालाराम पुत्र भीमाराम'' की स्थान पर मालाराम पुत्र भोमाराम व ''चुकीदेवी पत्नी भीमाराम के स्थान पर ''चुकली पत्नी भोमाराम'' लिख दिया, विवादित भूमि में प्रार्थीगण का नाम सही दर्ज नहीं होने से प्रार्थीगण को सरकारी सेवाओं एंव ऋण लेने में भारी परेशानी रहती हैं, राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई गलती को सुधार किया जाना अत्यन्त ही आवश्यक होने के कारण प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय श्री में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को तलबी हेतु नोटिस जारी किया गया विप्रार्थी का नोटिस तामिल सुदा प्राप्त। बावजूद [illegible] अनुपस्थित रहने से विप्रार्थी के विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। [illegible] तलब की गई।

तहसीलदार समदडी के पत्रांक भू.अ. / 2022 / 1411 दिनांक 2[illegible]22 द्वारा रिपोर्ट न्यायालय में पेश की गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी । प्रार्थीगण अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तहसीलदार समदडी द्वारा

उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाडमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाडमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.01.24 17:38:53 IST
Reason: SelfAttested

...र्ट व प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत राजकीय दस्तावेजात के आधार पर विवादित ... में दर्ज "सुकीदेवी पत्नी भीमाराम व "चुकली देवी पत्नी भीमाराम का नाम ...चुकीदेवी पत्नी भीमाराम व "मालाराम पुत्र भोमाराम" का नाम "मालाराम पुत्र भीमाराम" दुरूस्त किये जाने हेतु निवेदन किया ।

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया। तहसीलदार समदडी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से यह ज्ञात होता है कि ग्राम होतरडा के खसरा संख्या 145 के नामान्तरकरण संख्या 25 में प्रार्थीगण नाम सही दर्ज किया हुआ है, परन्तु तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा ग्राम भलरो का बाडा के खसरा संख्या 292, 296, 312 व 313 व ग्राम होतरडा के खसरा संख्या 252/72 व 153 में प्रार्थी संख्या 1 के पिता व विप्रार्थी संख्या 2 के पति का फौतदगी का नामान्तरकरण भरते समय प्रार्थीगण का नाम गलत दर्ज कर दिया गया है प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत राजकीय दस्तावेजात यथा आधारकार्ड, वोटरकार्ड, इत्यादि में प्रार्थी संख्या 1 का नाम "मालाराम पुत्र भीमाराम" व प्रार्थी संख्या 2 का नाम "चुकीदेवी पत्नी भीमाराम" दर्ज है।

लिहाजा तहसीलदार समदडी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट व प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत राजकीय दस्तावेज के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि सरहद मौजा होतरडा व भलरो का बाडा पटवार मण्डल भलरो का बाडा के खसरा संख्या 153, 252/72, 292, 296, 312 व 313 रकबा क्रमशः 4.8319, 2.5900, 2.9947, 10.5461, 1.0279 व 5.9408 भूमि में अंकित प्रार्थी संख्या 1 नाम "मालाराम पुत्र भोमाराम" के स्थान पर "मालाराम पुत्र भीमाराम" व प्रार्थी संख्या 2 का नाम "सुकीदेवी पत्न भोमाराम" व चुकलीदेवी पत्नी भोमाराम" के स्थान पर "चुकीदेवी पत्नी भीमाराम " दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्च पक्षकारन अपना–अपना वहन करे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

(दिनेश विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 22.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.01.24 17:38:53 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)